

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

सत्य प्रतिनिधि

पीठासीन अधिकारी-श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस)

रीडर
उपखण्ड अधिकारी एवं मैजिस्ट्रेट
पदमपुर, श्रीगंगानगर

10न0 - 111/2019

बलविन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 बीबी तहसील
पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

सिमरजीत कौर पत्नि बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 बीबी तहसील
पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

COMPARED BY ME

दिलबाग सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 बीबी तहसील
पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

जसवीर कौर पत्नि दिलबाग सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 बीबी तहसील
पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

-वादीगण-

बनाम्

गुरदीप सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 बीबी तहसील
पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

रणजीत कौर पत्नि गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 बीबी तहसील
पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

कुलविन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 बीबी तहसील
पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

कुलवीर कौर पत्नि कुलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 बीबी तहसील
पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

गोपाल सिंह पुत्र देवा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 बीबी तहसील पदमपुर
जिला श्रीगंगानगर।

दर्शन सिंह पुत्र निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 37 बीबी तहसील
पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

-प्रतिवादीगण -

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए

निर्णय

दिनांक:-17/1/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1
से 5 संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। संयुक्त परिवार की आय व विरास्तन सम्पत्ति

की आय से चक 37 बीबी के खाता सं० 97 के मुरबा नं० 29, 60 में 3.997 है० नहरी मय खाला व खाता सं० 142 का मुरबा नं० 15, 28, 60 में 3.985 है० व खाता सं० 143 के मुरबा नं० 28, 29 में 4.744 है० नहरी मय खाला भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 से 4 के नाम व चक 35 बीबी के खाता सं० 18 के मुरबा नं० 16 में 2.505 है० नहरी भूमि प्रतिवादी सं० 5 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं० 5 गोपाल सिंह द्वारा संयुक्त परिवार व विरास्तन सम्पत्ति की आय से उक्त सम्पत्ति अर्जित की है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 से 4 भी सह हिस्सेदार है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 से 4 ने भी मेहनत करके उक्त सम्पत्ति बनाई है। संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का आपसी सहमति से वादी व प्रतिवादी सं० 1 से 5 के मध्य दिनांक 20.05.2019 को बरोबरू गवाहान घरू बंटवारा लिखा गया। जिस घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी भूमि की काश्त कर रहे है। घरू बंटवारा के आधार पर वादीगण अपने हिस्सा में आई सम्पत्ति अपने नाम कराने का अधिकारी है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। उक्त संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का दिनांक 20.05.2019 को निम्न अनुसार बंटवारा किया है।

(क) वादीगण सं० 1 व 2 के हिस्सा की भूमि:- चक 35 आरबी के खाता सं० 18 के मुरबा नं० 16 की 2.505 है० भूमि व चक 37 बीबी के खाता सं० 142 के मुरबा नं० 60 के किला नं० 10/2 के 0.177, 11/0.253, 20/0.253 कुल 0.683 है० , चक 37 बीबी के खाता सं० 97 के मुरबा नं० 60 के किला नं० 17 से 19/0.759 है० 21/0.012 है० कुल 0.771 है० व चक 37 बीबी के खाता सं० 97 के मुरबा नं० 29 के किला नं० 23/0.063, 24/1 में 0.063 है० कुल 0.126 है० कुल तादादी 4.085 है०

(ख) वादीगण सं० 3 व 4 के हिस्सा की भूमि:- चक 37 बीबी के खाता सं० 97 के मुरबा नं० 29 के किला नं० 4/2 में 0.189, 5/0.253, 16-17/0.506, 24/0.063, 25/0.190 कुल 1.201 है० व चक 37 बीबी के खाता सं० 97 के मुरबा नं० 29 के किला नं० 18/1 में 0.180 है० व चक 37 बीबी के खाता सं० 143 के मुरबा नं० 29 के किला नं० 6-7/0.506, 14-15/0.506, 3/0.054, 8/1 में 0.180, 13/2 में 0.180 है० कुल 1.426 है० व चक 37 बीबी के खाता सं० 143 के मुरबा नं० 28 के किला नं० 21/2 में 0.079 है० कुल तादादी 2.886 है०

(ग) प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 के हिस्सा की भूमि:- चक 37 बीबी के खाता सं० 97 के मुरबा नं० 29 के किला नं० 23/0.063, 24/1 में 0.063 कुल 0.126 है०, चक 37 बीबी के खाता सं० 142 के मुरबा नं० 28 के किला नं० 2, 9, 12, 19, 22

प्रत्येक 0.253 है0 कुल 1.265 है0 व चक 37 बीबी के खाता सं0 142 के मुरबा नं0 142 के मुरबा नं0 15 के किला नं0 6/2 में 0.063, 7 से 9/0.759, 10/1 में 0.190, 11-12/0.506, 13/1 में 0.127 है0 कुल 1.595 है0 व चक 37 बीबी के खाता सं0 143 के मुरबा नं0 28 के किला नं0 5/0.063, 6/1 में 0.063, 6/2 में 0.190, 15/2 में 0.126 है0 कुल 0.442 है0 कुल तादादी 3.428 है0

(घ) प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 के हिस्सा की भूमि:- चक 37 बीबी के खाता सं0 97 के मुरबा नं0 29 के किला नं0 8/2 में 0.073, 19 से 22/1.012, 24/0.064 है0 कुल 1.149 है0 व चक 37 बीबी के खाता सं0 143 के मुरबा नं0 29 के किला नं0 1-2/0.506, 3/0.073, 8/2 में 0.073, 9 से 12/1.012 है0 13/0.073 है0 कुल 1.737 है0 कुल तादादी 2.886 है0

COMPARED BY ME

(ड) प्रतिवादी सं0 5 के हिस्सा की भूमि:- चक 37 बीबी के खाता सं0 97 व खाता सं0 142 के मुरबा नं0 60 के किला नं0 21/1 में 0.126, 21/0.064 कुल 0.190 है0 चक 37 बीबी के खाता सं0 97 के मुरबा नं0 29 के किला नं0 3/2 में 0.126 है0, 4/1/0.063 है0 कुल 0.189 है0 व चक 37 बीबी के खाता सं0 143 के मुरबा नं0 28 के किला नं0 5/0.190 है0 व चक 37 बीबी के खाता सं0 143 के मुरबा नं0 29 के किला नं0 23/0.190 है0 कुल तादादी 0.760 है0

वादीगण व प्रतिवादीगण बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्सा की भूमि काशत कर रहे है। वादीगण घरू बंटवारा भूमि अपने नाम कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे। जो यहीं वाद का कारण है। वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र निम्नानुसार डिग्री फरमाया जावें।

(क) वाद पत्र की मद सं0 5 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का बंटवारा स्वीकृत कर बंटवारा की डिग्री जारी कर उसी कदर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने व राजस्व लगान निर्धारित करने का आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुरेन्द्र लोहारा अधिवक्ता ने जवाबदावा सहमति का प्रस्तुत किया गया। जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। वकील वादी व वकील प्रतिवादी की सहमति से तहसीलदार पदमपुर से वादगत भूमि चक 37 बीबी के खाता सं0 143/144 के मुरबा नं0 28/1.581 व मुरबा नं0 29/3.163 है0 कुल 4.744 है0 भूमि की कब्जा काशत मय मौका नक्शा रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार (भू0अ0)पदमपुर के पत्रांक:भू0अ0/2019/4395 दिनांक 25.11.2019 के द्वारा रिपोर्ट मुताबिक रिपोर्ट अनुसार

सीडर

उपरखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
पदमपुर (श्रीगंगानगर)

1. गुरदीप सिंह पुत्र गोपाल सिंह, रणजीत कौर पत्नि गुरदीप सिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार ब०हि०ब० मुरबा नं० 28 किला नं० 5/2/0.063, 6/1/0.063 कुल 0.126 है० नहरी
2. कुलविन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह, कुलवीर कौर पत्नि कुलविन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार ब०हि०ब० मुरबा नं० 29 किला नं० 1, 2/0.506, 3/1/0.073, 8/2/0.073, 9 से 12/1.012, 13/1/0.073 कुल 1.737 है० नहरी खाला
3. दिलबाग सिंह पुत्र गोपाल सिंह, जसवीर कौर पत्नि दिलबाग सिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार ब०हि०ब० मुरबा नं० 29 किला नं० 3/3/0.054, 6, 7/0.506, 8/1/0.180, 13/2/0.180, 14, 15/0.506 कुल 1.426 है० नहरी खाला व मुरबा नं० 28 किला नं० 21/2/0.079 कुल तादादी 1.505 है० नहरी मय खाला
4. दर्शन सिंह पुत्र निर्मल सिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार मुरबा नं० 28 किला नं० 1/0.253, 10, 11, 12/0.759, 21/1/0.174 है० कुल 1.186 है० नहरी मय खाला
5. गोपाल सिंह पुत्र देव सिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार मुरबा नं० 28 किला नं० 5/1/0.190 कुल 0.190 है० नहरी मय खाला
वकील वादी व वकील प्रतिवादी द्वारा राजीनामा व तहसीलदार पदमपुर की रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र डिग्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

COMPARED BY ME

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण व प्रतिवादीगण को राजीनामा तहसीलदार पदमपुर की रिपोर्ट के आधार पर खातेदार मालिक घोषित किया जाता है

(क) वादी सं० 1 बलविन्द्र सिंह व वादी सं० 2 सिमरजीत कौर पत्नि बलविन्द्र सिंह का हिस्सा :- चक 35 आरबी के खाता सं० 18 के मुरबा नं० 16 की 2.505 है० भूमि व चक 37 बीबी के खाता सं० 142 के मुरबा नं० 60 के किला नं० 10/2 के 0.177, 11/0.253, 20/0.253 कुल 0.683 है०, चक 37 बीबी के खाता सं० 97 के मुरबा नं० 60 के किला नं० 17 से 19/0.759 है० 21/0.012 है० कुल 0.771 है० व चक 37 बीबी के खाता सं० 97 के मुरबा नं० 29 के किला नं० 23/0.063, 24/1 में 0.063 है० कुल 0.126 है० कुल तादादी 4.085 है० भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाता है।

(ख) वादी सं० 3 दिलबाग सिंह व वादी सं० 4 जसवीर कौर पत्नि दिलबाग सिंह का हिस्सा :- चक 37 बीबी के खाता सं० 97 के मुरबा नं० 29 के किला

नं० 4/2 में 0.189, 5/0.253, 16-17/0.506, 24/0.063, 25/0.190 कुल 1.201 है० व चक 37 बीबी के खाता सं० 97 के मुरबा नं० 29 के किला नं० 18/1 में 0.180 है० व चक 37 बीबी के खाता सं० 143 के मुरबा नं० 29 के किला नं० 6-7/0.506, 14-15/0.506, 3/0.054, 8/1 में 0.180, 13/2 में 0.180 है० कुल 1.426 है० व चक 37 बीबी के खाता सं० 143 के मुरबा नं० 28 के किला नं० 21/2 में 0.079 है० कुल तादादी 2.886 है० भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाता है।


COMPARED BY ME

(ग) प्रतिवादी सं० 1 गुरदीप सिंह पुत्र गोपाल सिंह व प्रतिवादी सं० 2 रणजीत कौर पत्नि गुरदीप सिंह का हिस्सा :- चक 37 बीबी के खाता सं० 97 के मुरबा नं० 29 के किला नं० 23/0.063, 24/1 में 0.063 कुल 0.126 है०, चक 37 बीबी के खाता सं० 142 के मुरबा नं० 28 के किला नं० 2, 9, 12, 19, 22 प्रत्येक 0.253 है० कुल 1.265 है० व चक 37 बीबी के खाता सं० 142 के मुरबा नं० 142 के मुरबा नं० 15 के किला नं० 6/2 में 0.063, 7 से 9/0.759, 10/1 में 0.190, 11-12/0.506, 13/1 में 0.127 है० कुल 1.595 है० व चक 37 बीबी के खाता सं० 143 के मुरबा नं० 28 के किला नं० 5/0.063, 6/1 में 0.063, 6/2 में 0.190, 15/2 में 0.126 है० कुल 0.442 है० कुल तादादी 3.428 है० भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाता है।

(घ) प्रतिवादी सं० 3 कुलविन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह व प्रतिवादी सं० 4 कुलवीर कौर पत्नि कुलविन्द्र सिंह का हिस्सा :- चक 37 बीबी के खाता सं० 97 के मुरबा नं० 29 के किला नं० 8/2 में 0.073, 19 से 22/1.012, 24/0.064 है० कुल 1.149 है० व चक 37 बीबी के खाता सं० 143 के मुरबा नं० 29 के किला नं० 1-2/0.506, 3/0.073, 8/2 में 0.073, 9 से 12/1.012 है० 13/0.073 है० कुल 1.737 है० कुल तादादी 2.886 है० भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाता है।

(ड) प्रतिवादी सं० 5 गोपाल सिंह का हिस्सा :- चक 37 बीबी के खाता सं० 97 व खाता सं० 142 के मुरबा नं० 60 के किला नं० 21/1 में 0.126, 21/0.064 कुल 0.190 है०, चक 37 बीबी के खाता सं० 97 के मुरबा नं० 29 के किला नं० 3/2 में 0.126 है०, 4/1/0.063 है० कुल 0.189 है० व चक 37 बीबी के खाता सं० 143 के मुरबा नं० 28 के किला नं० 5/0.190 है० व चक 37 बीबी के खाता सं० 143 के मुरबा नं० 29 के किला नं० 23/0.190 है० कुल तादादी 0.760 है० भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाता है।


सत्य प्रतिलिपि



उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
पदमपुर (श्रीगंगानगर)

(च) प्रतिवादी सं० 6 दर्शन सिंह पुत्र निर्मल सिंह का हिस्सा :- चक 37 बीबी के खाता सं० 143 के मुरवा नं० 28 किला नं० 1/0.253, 10, 11, 12/0.759, 21/1/0.174 है० कुल 1.186 है० नहरी मय खाला भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाता है। यदि उक्त भूमि बैंक में रहन दर्ज हो तो खातेदारान के संयुक्त खाते में अंकित हिस्से में बदलाव की स्थिति में बैंक से एनओसी जारी होने के बाद निर्णय की पालना की जावे। खातेदारान के हक हिस्से में बदलाव न होने की दशा में संबंधित खातेदार के खाते में बैंक का रहन यथावत दर्ज रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

COMPARED BY ME



निर्णय आज दिनांक 12/01/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज०)

